

कार्यकारी सार

पृष्ठभूमि

हरियाणा सरकार के वित्त पर यह प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 में राज्य के बजट अनुमानों की तुलना में वित्तीय निष्पादन का मूल्यांकन, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (रा.उ.ब.प्र.) अधिनियम, 2005 के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों तथा सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरण की प्रमुख प्रवृत्तियों तथा संरचनात्मक प्रोफाइल का विश्लेषण प्रकट करता है।

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए हरियाणा सरकार के लेखापरीक्षित लेखों तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त अतिरिक्त आंकड़ों जैसे कि आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग द्वारा प्रकाशित आर्थिक सर्वेक्षण पर आधारित, यह प्रतिवेदन चार अध्यायों में राज्य सरकार के वार्षिक लेखों की विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रदान करता है।

अध्याय 1 प्रतिवेदन के आधार और दृष्टिकोण का वर्णन करता है और अंतर्निहित डेटा सरकारी खातों की संरचना, बजटीय प्रक्रियाओं, प्रमुख सूचकांकों के मैक्रो-राजकोषीय विश्लेषण तथा घाटे/अधिशेष सहित राज्य की राजकोषीय स्थिति का विहंगावलोकन प्रदान करता है।

अध्याय 2 राज्य के वित्त का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है, पिछले वर्ष के सापेक्ष प्रमुख राजकोषीय समुच्चय, 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान समग्र प्रवृत्तियों, राज्य के ऋण प्रोफाइल और राज्य के वित्त लेखों के आधार पर प्रमुख लोक लेखा लेनदेनों के महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विश्लेषण करता है।

अध्याय 3 राज्य के विनियोजन लेखों पर आधारित है तथा राज्य सरकार की विनियोजन और आबंटन प्राथमिकताओं की समीक्षा करता है और बजटीय प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से विचलन पर रिपोर्ट करता है।

अध्याय 4 राज्य सरकार के विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए लेखों की गुणवत्ता और राज्य सरकार के विभिन्न विभागीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों और विनियमों का अनुपालन न करने के मामलों पर टिप्पणी करता है।

लेखापरीक्षा परिणाम

अध्याय 1: विहंगावलोकन

राजस्व घाटे के उत्तरोत्तर उन्मूलन द्वारा राजकोषीय प्रबंधन और राजकोषीय स्थिरता में बुद्धिमता सुनिश्चित करने के लिए राज्य द्वारा रा.उ.ब.प्र. अधिनियम, 2005 पारित किया गया था। यद्यपि 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार रा.उ.ब.प्र. अधिनियम में संशोधन नहीं किया गया है।

[अनुच्छेद 1.5]

राजस्व घाटा 2018-19 के दौरान ₹ 11,270 करोड़ से बढ़कर 2019-20 में ₹ 16,990 करोड़ हो गया, जो कि ₹ 12,022 करोड़ के बजट प्रक्षेपणों से अधिक था।

[अनुच्छेद 1.5]

राजकोषीय घाटा जो 2018-19 में ₹ 21,912 करोड़ था, 2019-20 में बढ़कर ₹ 30,518 करोड़ हो गया। राजकोषीय घाटा, जो स.रा.घ.उ. का 3.67 प्रतिशत था, 14वें वित्त आयोग के प्रक्षेपणों के साथ-साथ बजट प्रक्षेपणों से अधिक था।

[अनुच्छेद 1.5]

पेंशन स्कीम में कम अंशदान, समेकित ऋण शोधन निधि में अंशदान न करने, गारंटी मोचन निधि में गारंटी फीस प्राप्तियां हस्तांतरित न करने और खदान एवं खनिज विकास, पुनरूद्धार एवं पुनर्वास निधि में ब्याज का समायोजन न होने के कारण राजस्व एवं राजकोषीय घाटा ₹ 1,284.43 करोड़ कम बताया गया।

[अनुच्छेद 1.6.1]

अध्याय 2: राज्य के वित्त

राजस्व प्राप्तियों की वार्षिक वृद्धि दर 2015-16 में 16.56 प्रतिशत से घटकर 2019-20 में 2.99 प्रतिशत हो गई। राज्य के स्वयं के राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में 0.66 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई।

[अनुच्छेद 2.3.2.1]

राजस्व व्यय गत वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत बढ़कर ₹ 84,848 करोड़ हो गया और कुल व्यय का 82 प्रतिशत था। वेतन एवं मजदूरी, पेंशन तथा ब्याज भुगतानों से समायुक्त प्रतिबद्ध व्यय ने कुल राजस्व व्यय का 55 प्रतिशत संघटित किया। 2019-20 में सब्सिडी पर व्यय ₹ 8,105 करोड़ था, जो ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए ₹ 6,978 करोड़ (86.09 प्रतिशत) की सब्सिडी सहित राजस्व प्राप्तियों का 11.94 प्रतिशत था।

[अनुच्छेद 2.4.2]

2019-20 के दौरान पूंजीगत व्यय कुल व्यय का 17 प्रतिशत था जिसमें उदय स्कीम के अंतर्गत बिजली क्षेत्र के ₹ 5,190 करोड़ के ऋणों का इक्विटी में परिवर्तन शामिल था। तीन विद्युत वितरण कंपनियों की संचित हानियां ₹ 29,026 करोड़ थीं।

[अनुच्छेद 2.4.3]

31 मार्च 2020 तक सरकार द्वारा सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, सरकारी कंपनियों और सहकारिताओं में ₹ 36,923 करोड़ निवेशित थे। इसमें से ₹ 31,637 करोड़ का निवेश घाटा उठाने वाली 11 सरकारी कंपनियों में किया गया था। इन 11 कंपनियों को ₹ 29,639 करोड़ की संचित हानि हुई, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी निवेश का निवल मूल्य घटकर ₹ 1,998 करोड़ रह गया। इसके अतिरिक्त, पूंजी अधूरी परियोजनाओं में अवरुद्ध रह गई और वांछित लाभ प्राप्त नहीं किए जा सके।

[अनुच्छेद 2.4.3.2]

वर्ष के दौरान ₹ 5,190 करोड़ की राशि के डिस्कॉम ऋणों को इक्विटी में परिवर्तित करने के कारण 31 मार्च 2020 तक बकाया ऋण एवं अग्रिमों में 35.59 प्रतिशत की गिरावट आई। वर्ष 2019-20 के आरंभ में सहकारी चीनी मिलों के विरुद्ध ₹ 2,647.86 करोड़ का ऋण बकाया था। आगे, इन चीनी मिलों को कुल ₹ 770.82 करोड़ के ऋण दिए गए थे। 2019-20 के दौरान राज्य सरकार ने ₹ 398 करोड़ (बकाया ऋणों एवं अग्रिमों का 4.22 प्रतिशत) का ब्याज प्राप्त किया।

[अनुच्छेद 2.4.3.2(vii)]

राज्य सरकार ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि और खदान एवं खनिज विकास, पुनरूद्धार एवं पुनर्वास निधि के अंतर्गत उपलब्ध ₹ 3,393.15 करोड़ की निधियों का निवेश नहीं किया।

[अनुच्छेद 2.5.2.2 एवं 2.5.2.4]

लोक ऋण और लोक लेखा देयताओं सहित समग्र राजकोषीय देयताएं स.रा.घ.उ. का 25.92 प्रतिशत थीं। पिछले वर्ष की तुलना में ऋण में 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राज्य सरकार ने ₹ 44,329 करोड़ का आंतरिक ऋण लिया और ₹ 15,512 करोड़ का चुकाया। 2019-20 के दौरान आंतरिक ऋण पर ₹ 13,874 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया गया था। स.रा.घ.उ. से राजकोषीय देयताओं के अनुपात में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई दी जो कि 2015-16 में 24.36 प्रतिशत से बढ़कर 2019-20 में 25.92 प्रतिशत हो गई। 2019-20 के अंत में ये देयताएं राजस्व प्राप्तियों का 3.18 गुणा और राज्य के स्वयं के संसाधनों का 4.29 गुणा थीं।

[अनुच्छेद 2.6.1]

अध्याय 3: बजटीय प्रबंधन

2019-20 के दौरान, ₹ 1,56,449.71 करोड़ के कुल अनुदानों तथा विनियोजनों के विरुद्ध ₹ 1,29,856.27 करोड़ का व्यय किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 26,593.44 करोड़ की समग्र बचत थीं। इसमें से 39 मामलों में, प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ से अधिक की बचत दर्ज करते हुए, ₹ 25,905.59 करोड़ की बचत की गई। वर्ष 2018-19 से संबंधित ₹ 41.54 करोड़ के अधिक व्यय के साथ-साथ दो अनुदानों के अंतर्गत ₹ 153.39 करोड़ के अधिक व्यय को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 205 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित करवाए जाने की आवश्यकता है।

[अनुच्छेद 3.3.2(i), 3.3.3 एवं 3.4.1]

2015-20 के दौरान 20 अनुदानों और एक विनियोजन में निरंतर बचत दर्ज की गई। 37 मामलों में, अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुए क्योंकि व्यय मूल प्रावधान से कम रहा। 10 अनुदानों के अंतर्गत 15 प्रमुख शीर्षों में 47 प्रतिशत व्यय मार्च 2020 में किया गया जो वर्ष के अंतिम माह में व्यय की अधिकता को दर्शाता है जो कि सामान्य वित्तीय नियमों के नियम 56 के प्रावधानों के विपरीत था। 2019-20 के दौरान ₹ 1,216.41 करोड़ के अनुमोदित परिव्यय वाली 61 विकास योजनाएं कार्यान्वित नहीं की गई थीं।

[अनुच्छेद 3.3.1, 3.3.2(ii), 3.4.3 एवं 3.4.4]

अध्याय 4: लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग व्यवहार

सरकारी विभागों ने भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 और हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम, 1986 के अंतर्गत संग्रहित उपकर को राज्य की समेकित निधि के माध्यम से लिए बिना हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड/हरियाणा ग्रामीण विकास निधि प्रशासन बोर्ड को हस्तांतरित कर दिया। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि के मामले में अधिनियम में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा का प्रावधान है और निधि की लेखापरीक्षा की जा रही है। परन्तु, हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा का प्रावधान नहीं है।

[अनुच्छेद 4.1]

31 अगस्त 2020 को विभिन्न विभागों द्वारा प्रदान किए गए ₹ 10,597.58 करोड़ के अनुदानों से संबंधित 2,004 उपयोगिता प्रमाण-पत्र बकाया थे। 93 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी, के 254 वार्षिक लेखे 31 जुलाई 2020 तक बकाया थे।

[अनुच्छेद 4.6 एवं 4.15]

2019-20 के दौरान, ₹ 10,501.79 करोड़ के व्यय (कुल व्यय का 10.24 प्रतिशत) वित्त लेखों में स्पष्ट रूप से लेखाकृत करने के बजाय बहुप्रयोजन लघु शीर्ष - 800 के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए थे जो वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करता है।

[अनुच्छेद 4.9]

राज्य ने भारत सरकार के लेखा मानक (आई.जी.ए.एस.)-3: सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम का अनुपालन नहीं किया है क्योंकि अतिदेय मूलधन और ब्याज की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई थी और प्रत्येक ऋणी की शेष राशि की पुष्टि प्रस्तुत नहीं की गई थी।

[अनुच्छेद 4.13]

राज्य सरकार ने ₹ 1.34 करोड़ की राशि के सरकारी धन से आवेष्टित दुर्विनियोजन, दुरुपयोग, इत्यादि के 64 मामले सूचित किए जिन पर जून 2020 तक अंतिम कार्यवाही लंबित थी। इनमें से 34 मामले पांच वर्षों से अधिक पुराने थे।

[अनुच्छेद 4.18]